

प्रेषक,

रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र०

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
अलीगढ़।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2020

विषय:- कोरोना वायरस कोविड-19 के दृष्टिगत कोरोना टेस्टिंग लैब में कन्ज्यूमेबल्स, कोविड वॉर्ड हेतु कन्ज्यूमेबल्स तथा क्लीनिक उपचार हेतु जीवन रक्षक औषधि के क्रय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के पत्रांक 808/71-3-2020-कोविड-2-2020, दिनांक 31.07.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जवाहर लाल मेडिकल कालेज, अलीगढ़ स्थित कोरोना टेस्टिंग लैब में कन्ज्यूमेबल्स, कोविड वॉर्ड हेतु कन्ज्यूमेबल्स तथा क्लीनिक उपचार हेतु जीवन रक्षक औषधि के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) से वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रु० 100.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारी, अलीगढ़ के निवर्तन पर अग्रिम रूप से रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका/ वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा। गृह विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।
- (2) जो भी उपकरण क्रय किये जायेंगे उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हों, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार/जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए०एम०सी०/सी०एम०सी० भी करायी जायेंगी।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित क्रय प्रक्रिया अन्तर्गत क्रय किया जायेगा।

(4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

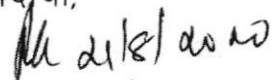
(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

  
(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-533 (1)/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-3, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 उ०प्र० शासन को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- संबंधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(संजय गोयल)

दिनांक: वर्ष: 2018 तक  
आवेदन दिनांक: 21/04/2018

देयक संख्या: 533  
आवेदन आवेक संख्या: 135-33

अनुदान संख्या: 91 राजस्व विभाग (देवी विधित्तियों के सम्बन्ध में राहत प्रवितीय वर्ष 2015-16/17 का आवेदन)

लेखाशीर्षक: 2243 - प्राकृतिक विधिति के कारण राहत आयोजन (राजस्व)

01 - स्टेट डिपार्ट्मेंट रेस्पांसिबिलिटी फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 -

10 - स्टेट डिपार्ट्मेंट रेस्पांसिबिलिटी फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम         | 82 - अग्र व्यय       | योग      |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------|
| 1     | अधीन 4217-निर्वाहकारी, -01- | प्रमाणित<br>17000000 | 31000000 |
|       | योग                         | प्रमाणित<br>17000000 | 31000000 |

महायोग (वर्तमान आवेदन) - रूपया एक करोड़

महायोग (प्रणामी आवेदन) - रूपया एक करोड़ सत्तर लाख

(उपरी सुचि संकेतित)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी